# पूर्व मध्य रेल

## संरक्षा बुलेटिन नं0–03/2023

कार्यालय
महाप्रबन्धक/संरक्षा
हाजीपुर।

पत्र सं0–ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/03/23 दिनांक 21.03.2023

**विषयः–शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियॉ ।**

**1. विषय :–**

पिछले कुछ दिनों में पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों में शंटिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की असावधानियॉ/रफ शंटिंग की घटनाऍ संज्ञान में आयी हैं । दिनांक 16.03.2023 को दानापुर मंडल में एक यात्री गाड़ी में पीछे से वाहन जोड़ने के दौरान रफ शंटिंग की घटना घटित हुई । दूसरी घटना में दिनांक 19.03.2023 को दानापुर मंडल के राजेन्द्रनगर स्टेशन यार्ड में खलिया कोचिंग रेक के शंटिंग के दौरान हैण्ड प्वाइन्ट का सही तरीके से सेट नहीं होने के कारण एक कोच अवपथित हो गया ।

**2. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियॉ :–**

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के निम्नलिखित नियमों का सर्वसंबंधित यथा शंटर, शंटिंग कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उद्धृत किया जा रहा हैः–

(I) **शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगाः–**

- सामान्य नियम 5.13(1)के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण सिगनल या हैंण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा।
- सहायक नियम 5.14 (1) के (i) के अनुसार एक ही समय में गाड़ी के दोनों छोर पर एक साथ शंटिंग नहीं किया जाएगा।
- 5.14 (1) के (ii) के अनुसार शंटिंग के दौरान कोई कर्मचारी बफर, हैण्ड ब्रेक गियर या वाहनों के स्क्रू कपलिंग या इंजन के कॉउकैचर पर नहीं चढ़ेगा।
- सहायक नियम 14.01 में वॉकी–टॉकी सेट के उपयोग किये जाने की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित स्थितियों/कार्यों के अलावे वॉकी–टॉकी का प्रयोग शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।
- सहायक नियम 5.16 (ख) के अनुसार गाड़ियों के प्रवेश/प्रस्थान के समय शंटिंग रेक/लोड में पूर्णतया एयर ब्रेक के साथ होना चाहिए ।
- इसके अतिरिक्त सहायक नियम 8.15 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ।

**(II) शंटर के लिए आवश्यक निर्देशः–**

- सामान्य एवं सहायक नियम सं0 5.13 में शंटिंग के नियंत्रण सम्बन्धित सामान्य नियम सं0 1, 2 एवं 3 एवं सहायक नियम 5.13 (ख का vi) जिसके अनुसार यात्री वाहक गाड़ियों के वाहनों के काटने या जोड़ने हेतु शंटिंग किया जाना हो तो शंटिंग इंजन गाड़ी से 20 मी0 दूर पहले अवश्य रूकेगा और उसके बाद धीरे–धीरे आगे बढ़ेगा।

- सहायक नियम 5.13 (क का ii) के अनुसार शंटिंग के समय इम्पैक्ट की अधिकतम गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगा।
- शंटिंग के दौरान गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी ।
- विद्युत इंजन में लोको पायलट अगले कैव से ही शंटिंग करेंगे। डीजल लोको में शंटिंग की दिशा वाले ड्राईविंग कंट्रोल स्टैण्ड से ही शंटिंग कार्य करेंगे ।
- सामान्य नियम 5.13 (2)के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सतर्क रहेगा।

**(III) स्टेशन मास्टर/शंटिंग पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक निर्देशः–**

- सामान्य एवं सहायक नियम सं0 5.14 में उद्धृत है कि स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि गाड़ियों या वाहनों की शंटिंग केवल ऐसे समय और रीति से किया जाए कि उसमें खतरा न हो ।
- सहायक नियम 5.14 (3) में यह वर्णित है कि सभी अन्तर्पाशित स्टेशनों पर सभी गाड़ियों की शंटिंग के दौरान फेसिंग कॉटा अवश्य सही रूप से सेट किया जाए और उस पर ताला बन्द किया जाए।
- सहायक नियम 5.14 (7) के अनुसार स्टेशन मास्टर द्वारा गैर अन्तर्पाशित प्वांइन्टस एवं खराब सिगनल वाले भाग में शंटिंग के लिए T/806 जारी किया जाएगा ।
- सहायक नियम 5.14 (9)के अनुसार रात्रि में जब कोई इंजन वाहन के साथ जोड़ा जाना हो तो शंटिंग पर्यवेक्षक(गार्ड या शंटिंग जमादार) द्वारा सफेद प्रकाश लोको पायलट के तरफ दिखाया जाएगा जब इंजन वाहन के निकट हो ।
- सहायक नियम सं0 5.14 (14) में वर्णित है कि यात्री वहन करनेवाली गाड़ी के शंटिंग के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व शंटिंग जमादार या गार्ड/स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ।

SHIV KUMAR PRASAD

Digitally signed by SHIV KUMAR PRASAD
Date: 2023.03.21 14:01:49 +05'30'

**(शिव कुमार प्रसाद)**
**प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी**

**प्रतिलिपिः–**

1. महाप्रबन्धक के सचिव–महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबन्धक के उप सचिव–अपर महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुपरिप्र0, प्रमुविई, प्रमुयांई0, प्रमुसिदूई0, मुविलोई0, मुपरिप्र/सा0
4. मंडल रेल प्रबन्धक/धनबाद,डीडीयु,दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमंपरिप्र0, वमंसंधि0,वमंविई(परि0),वमंयांई(कै0व वै0),वमंसिदूई/धनबाद,डीडीयु,दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्व संबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।